

प्रेसनोट दिनांक 08.06.2022

1. दिनांक 07.06.22 को वादी श्री श्रीनिवास पाण्डेय पुत्र जयशंकर नि० पारराम मर्दन पाण्डेय का पुरवा थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के भाई को टक्कर मार देना जिससे वादी के भाई की मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 268/22 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 07.06.22 को वादी श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व० सत्यनरायण सिंह नि० केलालाल खां थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात ट्रैक्टर चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी की पत्नी को टक्कर मार देना जिससे ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 269/22 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 07.06.22 को वादी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र पांचू नि० सनेथू लक्ष्मणपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रवि रावत पुत्र रामगोपाल नि० सनेथू लक्ष्मणपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या। अभि० द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 270/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 07.06.22 को वादी उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेश पुत्र राजितराम नि० दलपतपुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 160/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 07.06.22 को वादी श्री डेविड भाटी पुत्र मदनपाल नि० नूरपुर थाना सिकन्दराबाद बुलन्दशहर द्वारा सूचना दिया गया कि घनश्याम वर्मा नि० अज्ञात आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 176/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 07.06.22 को वादी उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामनयन पुत्र जगराम नि० बालापूर थाना तारुन अयोध्या अभि० के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 140/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 07.06.22 को वादी उ०नि० श्री इशहाक खान थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमर बहादुर पुत्र साहबदीन नि० डिहवा थाना को०रुदौली अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 231/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 07.06.22 को वादी श्री शहीद अहमद पुत्र मुशीर अहमद नि० कादिरपुर थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सलाम अहमद पुत्र निसार नि० कादिरपुर थाना को०रुदौली अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी व परिजन को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 234/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 07.06.22 को वादी श्री अशोक कुमार वर्मा बीट प्रभारी रौजागांव जनपद अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अशरफ पुत्र विजय बहादुर खान नि० हाडमऊ थाना पटरंगा अयोध्या आदि 02 नफर अभि० द्वारा एक नीम का पेड़ बिना अनुमति के काटकर उठा ले जाना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 105/22 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० व 3/28 ट्रांजिट अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।